# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—495/2016/223 (2016/00495)**

1. बजरंगलाल पुत्र रूपनारायण, जाति महाजन, निवासी केकड़ी, जिला अजमेर ।

**अपीलांट**

**बनाम**

1. नन्दकिशोर पुत्र जगदीश, जाति दरोगा, निवासी कणोज, तहसील केकड़ी जिला अजमेर ।
2. छीतर पुत्र भूरालाल, जाति दरोगा, नि0 गणोज, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

**रेस्पोडेंटस**

3. सत्यनारायण पुत्र रूपनारायण, जाति महाजन नि0 केकड़ी, जिला अजमेर हाल निवासी एफ—43, शिवाजी एन्कलेव, राजौरी, गॉर्डन, नई दिल्ली ।

**प्रफोर्मा रेस्पोडेंट**

**अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 29.05.2015 अंतर्गत वाद संख्या 117/2013.**

**उपस्थितः—**

1. श्री शिशिर विजय, वकील अपीलांट ।
2. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. श्री अजीत पहाड़िया, वकील प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 3.

## निर्णय

**दिनांकः—20.09.2018**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2015 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी वाके ग्राम जंगल कणोज, तह0 केकड़ी जिला अजमेर में अवस्थित आराजी खतौनी नंबर 248 पुराना 239 नया खसरा नंबर 2121 रकबा 0.97 है0 किस्म बारानी—1 वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है तथा राजस्व अभिलेखों में वादी तथा प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 3 बतौर खातेदार काश्तकार अंकित है । विवादित आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई वास्ता सरोकार नहीं है इसके बावजूद रेस्पो0 संख्या 1 व 2 अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 की आराजी पर जबरन कब्जा करके आराजी से बेदखल करने पर आमादा है । अतः वाद स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 29.05.2015 द्वारा वादी/अपीलांट

का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 की पत्रावली प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण में दिनांक 6.6.2016 नियत थी जिसे बदलकर दिनांक 6.5.2015 करते हुए प्रकरण को बिना वादी व उसके अधिवक्ता की जानकारी के प्रकरण को लोक अदालत हेतु नियत कर दिया परन्तु उक्त प्रकरण दिनांक 29.5.2015 को कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत किया गया और बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये दिनांक 29.5.2015 को ही वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया जिससे स्पष्ट जाहिर है कि उपखण्ड अधिकारी ने मनमानें तरीके से आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन वाद में दिनांक 27.4.2015 को आदेश 9 नियम 7 जा0दी0 का प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के पश्चात् प्रकरण में जवाबदावा लिया जाकर विवादित बिन्दु विरचित करते हुए पक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध कर तथा पक्षकारों को प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया जाकर बहस सुनकर विवादित बिन्दु को निर्णित करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की जानी चाहिये थी किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया । उक्त प्रकरण में जवाब दावा ही प्रस्तुत नहीं हुआ । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रतिवादी का यदि जवाब दावा नहीं है तो उसकी प्रतिरक्षा को नहीं देखा जा सकता है, न ही उसकी साक्ष्य ली जा सकती है तथा जवाब दावा पेश नहीं होने के आधार पर वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य था । अधी0न्याया0 ने वादी की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों को नजर अंदाज करते हुए कथित इकरारनामा वर्ष 1983 जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं था तथा विधिनुसार भी इकरारनामे से कोई हक प्राप्त नहीं होता है, ऐसे दस्तावेज के आधार पर वादी का वाद निरस्त किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं कहा जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 29.5.2015 निरस्त किया जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 29.5.2015 को वादी के बयान के पश्चात् मुकदमें की बार–बार जानकारी करने पर भी प्रकरण के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली तथा न ही पत्रावली न्यायालय में मिली। तत्पश्चात् सर्वप्रथम दिनांक 20.7.2016 को अधिवक्ता वादी की जानकारी में उक्त निर्णय आया, जिस पर अधिवक्ता वादी द्वारा वादी को सूचित किया जाकर, नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल दिनांक 21.11.2016 को वादी के अधिवक्ता को प्राप्त हुई । तत्पश्चात् अपीलांट ने अधिवक्ता से राय लेकर जानकारी व नकल प्राप्ति में लगे समय को छोड़कर अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता ने जरिये इकरारनामा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तथा क्रय दिनांक से विवादित आराजी पर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । कब्जे के अभाव में अपीलांट/वादी स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 को निर्णित करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में हम अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 27.4.2015 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त दिनांक को अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 जा0दी0 स्वीकार कर पत्रावली वास्ते जवाब दिनाक 6.6.2015 अंकित की गई जिसे बाद में काटकर दिनांक 6.5.2015 किया गया है । तत्पश्चात् दिनांक 6.5.2015 की आदेशिका में प्रकरण को लोक अदालत में रेफर करने हेतु दोनों पक्षों की सहमति बाबत् सील लगाकर आगामी पेशी तारीख दिनांक 29.5.2015 नियत की गई है तथा दिनांक 29.5.2015 को प्रकरण में उभयपक्ष की उपस्थिति दर्शाते हुए प्रकरण को खारिज किया है । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था जिसमें प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया जिस पर प्रतिवादी की जवाब बंद कर पत्रावली वास्ते वादी की साक्ष्य हेतु नियत की गई । तत्पश्चात् प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 जा0दी0 पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना पत्र 500/–रू0 की कोस्ट पर स्वीकार कर पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 6.6.2015 को नियत की थी उक्त नियत दिनांक 6.6.2015 को ओवर राईटिंग करके दिनांक 6.5.2015 नियत की गई है जो संदेहास्पद है । पत्रावली दिनांक 6.5.2015 प्रतिवादीगण के जवाब हेतु नियत थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने पत्रावली दिनांक 29.5.2015 को वादी को सूचित किये बिना कैम्प कोर्ट कणोज में रखकर, प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त किये बिना तथा आवश्यक तनकियात कायम किये बिना तथा उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त किये ही प्रकरण निर्णित किया है जो विधिविरूद्ध है जबकि अधी0न्याया0 को प्रकरण में प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त करने के उपरांत प्रकरण में आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने विधिक प्रक्रिया का उल्लघंन कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं होने से अपास्त योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.5.2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर, प्रकरण में आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को गुणावुण पर निर्णित करे।

**(बी0एल0मेहरडा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

10. निर्णय आज दिनांक 20.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(बी0एल0मेहरडा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**